# जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू

**(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)**

Email ID- adss.plm@gmail.com


## प्रेस विज्ञप्ति

निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 257 एवं 259 / दिनांक 02.07.2020 द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के ऐसे पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में दिव्यांगता पेंशन प्राप्त होता था परंतु अभी तक बहुत से पेंशनधारियों का पेंशन पोर्टल में नाम दर्ज नहीं होने के कारण उनका पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा इस योजना में पलामू जिला का लक्ष्य 7358 निर्धारित किया गया है जिसमें लगभग 6150 लाभुक का नाम पेंशन पोर्टल पर दर्ज किया गया है। अभी भी यह जिला लक्ष्य प्राप्ति से दूर है, जबकि पूर्व में समाज कल्याण विभाग, पलामू से प्राप्त सूची के अनुसार 7850 लाभुकों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि शत–प्रतिशत लाभुकों को लाभान्वित करने की दिशा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलामू द्वारा रूचि नहीं लिया जा रहा है।

इस संबंध में पूर्व में भी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलामू को इस आशय से सूचित किया गया था। पुनः सूचित किया जाता है कि वैसे दिव्यांग पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा था वे अपना आधार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की छायाप्रति अपने प्रखण्ड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका / आंगनबाड़ी सेविका को जमा करना सुनिश्चित करें ताकि पेंशन पोर्टल में नाम दर्ज कर लम्बित पेंशन का भुगतान किया जा सके। 10.7.20

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू।
10/7/2020

ज्ञापांक 310 / दिनांक 13-07-2020

प्रतिलिपिः– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को NIC के वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट www.prdjharkhand.in पर भी अपलोड कराने की व्यवस्था करेंगे।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू एवं अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर / चैनपुर / विश्रामपुर / छत्तरपुर / हरिहरगंज / हुसैनाबाद, पलामू को इस कार्यालय के ज्ञापांक 281 / दिनांक 27.06.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत इस सूचना का प्रचार–प्रसार करेंगे तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं पंचायत भवन में चस्पा करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलामू को इस कार्यालय के ज्ञापांक 281 / दिनांक 27.06.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने परियोजना अंतर्गत सर्वेक्षण करते हुए छूटे हुए शेष दिव्यांग पेंशनधारियों का संबंधित कागजात प्राप्त कर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू में सूची के साथ अविलम्ब जमा करना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपिः– जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू को इस कार्यालय के ज्ञापांक 184 / दिनांक 16.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

10.7.20

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू।
10/7/2020